उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–1
संख्याः — / ।।(1)–2018–01(90)/2003
देहरादूनः दिनांक 09 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

सिंचाई विभाग के अंतर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक–190/04/ई0–1/डी0पी0सी0/2018–19, दिनांक 06.07.2018 में चयन वर्ष 2017–18 हेतु संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु प्रेषित अधियाचन के कम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के उक्त पत्र के प्रस्तर–05 में उल्लिखित इंजीरियरिंग ड्राईग सर्विसेज फैडरेशन, उत्तराखण्ड का प्रत्यावेदन दिनांक 14.05.2018 मूलरूप में प्रेषित करते हुये चयन समिति की बैठक दिनांक 10.07.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्व उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए आयोग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है फेडरेशन के प्रत्यावेदन एवं श्री कृपाल दत्त पन्त एवं श्री पुनेठा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया। उनके द्वारा जिन 07 संगणकों को वरिष्ठता के आधार पर चयन समिति द्वारा उनके प्रकरण पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त 07 कार्मिकों का कमशः वर्ष 2013 (श्री चन्द नाथ चटर्जी) तथा वर्ष 2015 में (श्री कृपाल दत्त पन्त, श्री रमेश चन्द्र जोशी, श्री सतीश चन्द्र पुनेठा, श्री हरिश चन्द्र लोहनी, श्री देवेन्द्र सिंह रावत एवं श्री राजे सिंह रावत) प्रारूपकार से संगणक के पद पर पदोन्नति हुई है। उक्त कार्मिकों का संगणक से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु ज्येष्ठता के आधार पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– उक्त समस्त कार्मिक यद्यपि मौलिक पद पर वरिष्ठता कम में वर्तमान अधियाचन में वर्ष 2017–18 हेतु पदोन्नति के लिए पात्र संगणकों से ज्येष्ठता धारण करते हैं। किन्तु संगणक के पद पर पदोन्नति के उपरान्त सहायक अभियन्ता के पद हेतु 05 वर्ष अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने के कारण उपरोक्त सभी कार्मिक पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे उनकी ज्येष्ठता का संज्ञान लेते हुये उन्हें पदोन्नति हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया।

4– वर्तमान में राज्य में पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–3510/एस0एस0/2017 में दिनांक 16.05.2018 को प्राप्त निर्णय पर कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया हें और न ही शिथिलीकरण आस्थिगित करने के शासानादेश दिनांक 04.09.2017 को मा. उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2018 के अनुपालन में निरस्त किया गया है। जिससे वर्तमान में शिथिलीकरण पर रोक यथावत लागू है।

क्र0...

5– उपरोक्तवत् अवगत कराते हुये इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फैडरेशन उत्तराखण्ड के प्रत्यादेदन दिनांक 14.05.2018 के साथ संलग्न आवेदकों श्री कृपाल दत्त पन्त एवं श्री सतीश चन्द्र पुनेठा के प्रत्यावेदन को निस्तारित करते हुये अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के क्रम में उनके प्रत्यावेदनों को अस्वीकृत किया जाना उचित है।

अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री पी0एस0 मेहता, प्रान्तीय अध्यक्ष, इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फैडरेशन उत्तराखण्ड का प्रत्यावेदन दिनांक 14.05.2018 के साथ संलग्न आवेदकों श्री कृपाल दत्त पन्त एवं श्री सतीश चन्द्र पुनेठा के प्रत्यावेदन अग्राहय करते हुये निस्तारित किया जाता है।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1206/ I(1)–2018–01(90)/2003तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फैडरेशन उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 14.05.2018 के क्रम में।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।